

3. सामुदायिक सुविधाओं के नाम एवं आवंटन की प्रक्रिया का विवरण:—

सामुदायिक सुविधाओं के नाम से भूखण्ड/निर्मित दुकानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है, उच्चतम बोली दाता को आवंटन करते हुए 10 प्रतिशत धरोहर राशि व 15 प्रतिशत आवंटन धनराशि जमा कराने के पश्चात शेष 75 प्रतिशत धनराशि 3 वर्ष की 12 त्रैमासिक किस्तों में लिये जाने का प्राविधान है।

सूरसदन

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा सूरसदन प्रेक्षागृह का निर्माण वर्ष 1974 में आगरा की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से किया गया। इसका नाम महाकवि श्री सूरदास जी के नाम पर रखा गया। सूरसदन प्रेक्षागृह वर्तमान में आगरा शहर में सबसे बड़ा प्रेक्षागृह है, जिसमें बैठने की क्षमता 974 है। आगरा शहर की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, नाटक, कथक नृत्य, म्यूजिकल नाइट सेमिनार, राजनैतिक एवं शासकीय बैठकों हेतु समय-समय पर उपयोग में लाया जाता है। प्रेक्षागृह में मुख्य हॉल के अतिरिक्त एक वीआईपी रूम, दो ग्रीन रूम, एक मीटिंग हॉल व बेसमेंट में रिहर्सल हॉल की सुविधा उपलब्ध है, प्रेक्षागृह परिसर में पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है, दिनांक 01.04.2013 से विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सूरसदन प्रेक्षागृह आवंटित किये जाने की दरें निम्नवत् हैं, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 22.03.2013 को प्रदान की गयी थी।

क्र. सं.	आयोजन श्रेणी	किराया, प्रकाश एवं ध्वनि सहित (प्रति पारी)	क्र. सं.	आयोजन श्रेणी	किराया, प्रकाश एवं ध्वनि सहित (प्रति पारी)
1	सामान्य 1(ए) कॉन्फ्रेन्स/धार्मिक/ सामाजिक	20,000.00		4(बी) म्यूजिकल नाइट/फैशन शो/ब्यूटी कॉन्टेस्ट	40,000.00
	1(बी) फिल्मी गायन/नृत्य प्रतियोगिता	25,000.00	5	शैक्षिक/विद्यालय/महाविद्यालय आदि के सांस्कृतिक कार्यक्रम 5(ए) प्राईमरी एवं माध्यमिक विद्यालय	15,000.00
	1(सी) राजनैतिक पार्टी	20,000.00		5(बी) महाविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सा, प्रबन्धन शिक्षा संस्थान	20,000.00
2	नाटक 2(ए) नाटक मंचन	7,500.00 (उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक	6	मिनी कॉन्फ्रेस हॉल का किराया (प्रति घंटा)	1,000.00 (प्रति घंटा)

		02.07.2013)			
	2(बी) क्लासिकल संगीत/नृत्य एवं सांस्कृतिक/साहित्यिक गतिविधियां	10,500.00 (उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 02.07.2013)	7	पीछे वाले भाग के खुले क्षेत्र का किराया (हॉल, गैलरी, खाली स्थान (आगे-पीछे) खान-पान पूर्णतः वर्जित है।)	7,500.00
3	कवि सम्मेलन/मुशायरा (रात्रिकालीन)	20,000.00	8	वातानुकूलन किराया (प्रति घण्टा) तीन घण्टा अनिवार्य	3,000.00 (प्रति घण्टा)
4	व्यवसायिक 4(ए) गजल	25,000.00	9	मैजिक शो	30,000.00 (प्रति शो)

प्राधिकरण 38वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.10.1981 के प्रस्ताव संख्या-37 की स्वीकृति के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष में एक बार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु सूरसदन प्रेक्षागृह सूद-स्मारक मण्डल को निःशुल्क आरक्षित किया जाता है।